फा.सं. 19024/1/2009- संस्था. IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

संस्था IV शाखा

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कारणों से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय- दोनों हवाई यात्राएं।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-19024/1/2005-संस्था IV, दिनांक 24.3.2006 की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नवत प्रावधान किए गए थे :

''एयरलाइनों द्वारा लाई गई स्कीमों, जो क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल से जुड़ी हुई हैं, का भी लाभ उठाया जा सकता है। तथापि, ऐसे क्रेडिट कार्ड को पाने तथा उनका उपयोग करने के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकार/सक्षम प्राधिकारी का एक बार पूर्व अनुमोदन लेना जरूरी होगा।''

2. बाद में इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-19024/1/2005-संस्था IV, दिनांक 01.08.2006 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि :

''यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कार्यालय द्वारा सरकार को व्यापक बचत कराने के लिए किया जा रहा है तो क्रेडिट कार्ड के रखरखाव के लागत की प्रतिपूर्ति इसका उपयोग करने वाले अधिकारी को वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से की जा सकती है।''

3. इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें अधिकारियों ने क्रेडिट कार्डों द्वारा खरीदे टिकटों पर ''कैश बैक'' को अपने पास रख लिया है। यह आचरण नियमों का सरासर उल्लंघन है। इसलिए यह दोहराया जाता है कि क्रेडिट कार्डों का उपयोग करके एयर टिकटें खरीदने पर **इस तरह** का कोई लाभ उठाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी तथा प्राप्त ''कैश बैक'' अधिकारियों द्वारा तत्काल सरकार को जमा करा दिया जाए।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग से अनुरोध है कि इन हिदायतों का सख्ती से अनुपालन करें।

(वाई. पी. सहगल)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रति,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी वित्तीय सलाहकार।